मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 1–45/10/20–1 भोपाल, दिनांक 30/8/2010

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
6. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
   मध्यप्रदेश.

विषय :– अध्यापक संवर्ग के लिए प्रतिनियुक्ति की शर्तों के संबंध में।

---0---

मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2008 तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2008 के नियम–8 उपनियम (ड.) में प्रावधान है कि **"इन नियमों के अधीन नियोजित व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति के लिए वही शर्ते होगी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए।"** इस प्रावधान के अधीन राज्य सरकार अध्यापक संवर्ग के प्रतिनियुक्ति के लिए निम्नलिखित अनुसार शर्ते निर्धारित करती है :–

1. जिला/विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में अध्यापक संवर्ग के वरिष्ट अध्यापक /अध्यापक/सहायक अध्यापक का चयन शासन आदेश दिनांक 17.07.2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाए।
2. चयनित वरिष्ट अध्यापक /अध्यापक/सहायक अध्यापक जिला/विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर माने जायेगें।
3. यह प्रतिनियुक्ति प्रारंभ में 2 वर्ष के लिए होगी जिसे कार्य व्यवहार की गुणवत्ता के संपादन के आधार पर आगामी 2 वर्ष के लिए, जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय के लिए जिला कलेक्टर एवं विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुशंसा पर बढ़ाया जायेगा। इसके उपरांत आगामी 2 वर्ष की समय वृद्धि के लिए आयुक्त लोक शिक्षण/आयुक्त आदिवासी विकास विभाग की सहमति से बढ़ाया जायेगा। उक्त कालावधि के पूर्ण होने के उपरांत प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही नये सिरे से की जा सकती है।
4. प्रतिनियुक्ति की अवधि उक्त कंडिका 3 में उल्लेखित अनुसार अथवा संबंधित की पदोन्नति/स्थानांतरण होने तक प्रभावशील मानी जायेगी।

5. चयनित अध्यापक संवर्ग की वेतन व्यवस्था संबंधित उत्कृष्ट विद्यालय के रिक्त पदो के विरूद्ध की जायेगी।

6. चयनित अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता उनके मूल निकाय में यथावत रहेगी तथा पदोन्नति एवं क्रमोन्नति की कार्यवाही मूल निकाय द्वारा निकाय में संबंधित अध्यापक की वरिष्ठता के आधार पर मूल निकाय द्वारा की जायेगी।

7. प्रतिनियुक्ति के कारण रिक्त हुए अध्यापक संवर्ग के पदों पर संबंधित निकाय द्वारा पदपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.बी. पडवार)
अवर सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां क्रमांक / एफ 1–45 / 10 / 20–1 भोपाल, दिनांक 30/8/2010

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण,संचालनालय म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग